

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या : 708-कार्य/चौदह/पाकालि-2005-37-के/200।

दिनांक : अगस्त 09, 2005

कार्यालय-ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा माह जुलाई/अगस्त 2005 में १ एक माह के लिये विद्युत चोरी को रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद / कारपोरेशन के सेवानिवृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार उक्त अभियान में लगाया जा सकता है। इसे सेवानिवृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमानुसार प्रति कार्य दिवस के आधार पर मानदेय देने की रतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

१। सहायक अभियन्ता	रु० 300/- प्रति कार्य दिवस
२। अवर अभियन्ता	रु० 200/- प्रति कार्य दिवस
३। लाइन/पेट्रोल मैन	रु० 125/- प्रति कार्य दिवस

उक्त आदेश विद्युत चोरी को रोकने हेतु चलाय जाने वाले अभियान हेतु ही प्रभावी होंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 708१। कार्य/चौदह/पाकालि-2005 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी।
2. समस्त निदेशकगण/अध्यासी निदेशकगण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, निदेशक-का० प्र० एवं प्रशा०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. समस्त उपमहाप्रबंधक, उ० प्र० पा० का० लि०।
7. समस्त अध्यासी अभियंता, उ० प्र० पा० का० लि०।
8. पुलिस महानिरीक्षक & सतर्कता, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

के० सी० रस्तोगी
उपसचिव (कार्य)